सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 का कियान्वयन

सिवनी जिले में बीज निगम प्रक्षेत्र की स्थापना 1982 में हुई । प्रक्षेत्र के साथ– बीज प्रक्रिया केंद्र की स्थापना वर्ष 1983 में हुई है ।

1– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय भोपाल है । यह केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधीन है । मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशों के अनुसार बीजों का उत्पादन कार्यक्रम एवं बीजों का विक्रय वितरण तथा स्थानांतरण जैसे कार्य किये जाते हैं

मुख्यालय भोपाल में वरिष्ठतम अधिकारी प्रबंध संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय में जबलपुर के अधिकारी क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं । इस केंद्र के अधिकारी प्रक्षेत्र प्रबंधक/ प्रक्रिया प्रभारी होते हैं ।

2– म0प्र0 राज्य बीज फार्म विकास निगम, सिवनी के अंतर्गत पदस्थ अमले की जानकारी :–

1– श्री डी0पी0 सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक/ प्रक्रिया प्रभारी — कार्यालय प्रमुख

2– ,, सी0एम0 पटेल, कनिष्ठ उत्पादन सहायक — लेखा स्थापना विपणन

3– ,, आर0के0 सनोडिया, प्लांट आपरेटर — बीज स्टोर, पैकिंग मटेरियल, ग्रेडिंग पैकिंग कार्य

4– ,, एस0डी0 शर्मा, कनिष्ठ सहायक — प्रक्षेत्र का डेड स्टाक, प्रक्षेत्र के कार्य कृषि माला अनुसार समय पर संपादन

5– ,, श्रवण कुमार राजपूत, भृत्य — भृत्य के समस्त कार्य

3– प्रक्षेत्र एवं प्रक्रिया केंद्र पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण प्रक्षेत्र प्रबंधक/ प्रक्रिया प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों का होगा, जिस हेतु संबंधित कर्मचारी की जवाबदारी होगी ।

4– जैसा कि बिंदु क्रमांक–2 पर अंकित प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन हेतु अलग– अलग शाखा का प्रभार सौंपा गया है । शाखा से संबंधित कार्य संचालन एवं जानकारी से अवगत कराने हेतु जवाबदारी नियत की गई है ।

5– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सिवनी प्रक्षेत्र/ प्रक्रिया केंद्र पर मुख्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रक्षेत्र पर बीज उत्पादन कार्यक्रम, जिले के कृषकों के यहां बीज उत्पादन लेने के लक्ष्य बीजों की किस्मों आदि का निर्धारण किया जाता है । म0प्र0 शासन, कृषि विभाग की अनुसार बीजों का वितरण कृषकों को बीज निगम केंद्र, सिवनी, छपारा, लखनादौन से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से तथा निजी विक्रेताओं (डीलर) के द्वारा एवं कृषि विभाग के माध्यम से खरीफ/ रबी बीज वितरण कार्य किया जाता है । प्रक्षेत्र एवं प्रक्रिया केंद्र पर रखे जाने वाले अभिलेखों की जानकारी :–

1– रोकड़ पुस्तक, 2– लेजर 3– डेड स्टाक बुक 4– बीज स्टाक बुक 5– पी0ओ0 एल0/ लागबुक 6– बीज उपार्जन / संसाधन/ पैकिंग रजिस्टर 7– डेली डायरी रजिस्टर 8– कल्टीवेशन बुक 9– बीज खाद/ दवा स्टाक बुक

6– कार्यालयीन अमले द्वारा धारित एवं उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण –

1– श्री सी0एम0 पटेल, कनिष्ठ उत्पादन सहायक – रोकड़ पुस्तक, लेजर, बिल बुक, केशमेमो, एम. आर. बुक, स्टाक बुक, लेखा स्थापना संबंधी जानकारी ।

2– श्री आर0के0 सनोडिया, प्लांट आपरेटर– बीज उपार्जन/ ग्रेडिंग/ पैकिंग रजिस्टर, पैकिंग मटेरियल/ बीज दवा रजिस्टर, डेड स्टाक, ग्रेडर मशीन, सिलाई मशीन, मोस्चर मीटर, कांटा बांट, स्टोर तथा बीजों का रखरखाव ।

3– श्री एस0डी0 शर्मा, कनिष्ठ सहायक – बीज स्टाक बुक, पी0ओ0 एल0/ लागबुक, डेली डायरी, कल्टीवेशन बुक, डेड स्टाक, प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यमाला अनुसार समय पर कार्य संपादन ।

7– प्रक्षेत्र प्रबंधक/ प्रक्रिया प्रभारी बीज निगम मुख्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के द्वारा समय– समय पर लक्ष्यों एवं निर्देशों के विरूद्ध प्रक्षेत्र पर एवं कृषकों के यहां बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है तथा बीजों के आवंटन अनुसार फसलवार/ किस्मवार बीज म0प्र0 शासन, कृषि विभाग की मांग अनुसार बीजों की पूर्ति की जाती है एवं जिले के कृषकों को खरीफ/ रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने हेतु कृषि कार्यमाला अनुसार कृषि संबंधी परामर्श दिया जाता है तथा पंजीकृत कृषकों को उत्पादन कार्यक्रम

अंतर्गत उत्पादित बीजों पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित आकर्षक उपार्जन दर पर बीज क्रय किया जाता है । समय– समय पर कृषकों को कृषि विज्ञान केंद्र तथा जिले के उप संचालक, कृषि के माध्यम से उचित तकनीकी कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कृषकों को एकड़ पीछे प्रति क्विंटल उत्पादन पर लाभ प्राप्त होता है ।

8– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है, इसमें अलग से कोई बोर्ड / परिषद / कमेटियां आदि नहीं हैं ।

9– अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)

श्री डी0पी0 सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक / प्रक्रिया प्रभारी, कार्यालयीन परिसर दूरभाष 220612
श्री सी0एम0 पटेल, कनिष्ठ उत्पा0 सहायक कार्यालयीन परिसर दूरभाष 220612
श्री आर0के0 सनोडिया,प्लांट आपरेटर कार्यालयीन परिसर दूरभाष 220612
श्री एस0डी0शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालयीन परिसर दूरभाष 220612
श्री श्रवण कुमार राजपूत, भृत्य कार्यालयीन परिसर दूरभाष 220612
श्री अमरजीत सिंह सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक / प्रक्रिया प्रभारी, छपारा कार्यालयीन परिसर दूरभाष 290318
श्री बसंत भांगे, कनिष्ठ उत्पा0 सहा0 छपारा कार्यालयीन परिसर दूरभाष 290318
श्री जी0के0 अग्रवाल, प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक,लखनादौन कार्यालयीन परिसर दूरभाष 240218
श्री विष्णु प्रसाद ठाकुर, कनि0 उत्पा0 सहा0 लखनादौन कार्यालयीन परिसर दूरभाष 240218
श्री एस0एन0 प्रसाद, कनि0 उत्पा0 सहा0 लखनादौन कार्यालयीन परिसर दूरभाष 240218

10– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सिवनी में पदस्थ अमले को म0प्र0 शासन के वेतन– भत्ते निर्धारण अनुसार भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	वेतन	महं0 भत्ता	अन्य भत्ते	योग	ई0पी0 एफ0	वृत्ति कर	वाहन अग्रिम	कुल कटोती	नेट वेतन
1	श्री डी0पी0 सिंह	7100	3905	–	11005	1321	125	300	1746	9259
2	,, सी.एम. पटेल	5600	3080	–	8680	1042	125	–	1167	7513
3	,, आर0क00 सनोडिया	6375	3506	–	9881	1186	125	–	1311	8570
4	,, एस0डी0 शर्मा	4140	2277	–	6417	770	–	–	770	5647
5	,, एस0के0 राजपूत	3215	1768	15	4998	598	–	187	785	4213

11– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के निर्देशानुसार प्रक्षेत्र / प्रक्रिया केंद्र के व्ययों की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के माध्यम से 20,000–00 प्रतिमाह इम्प्रेस्ट राशि उपलब्ध कराई जाती है । परिवहन / हम्माली के देयकों का तथा रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा कृषकों से उपार्जित बीजों का अग्रिम एवं अंतिम भुगतान डी0 डी0 के माध्यम से किये जाते हैं ।

12– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम कृषकों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित आकर्षक उपार्जन दरों पर बीजों का भुगतान किया जाता है । बीज निगम अनुदान प्रोग्रामों के प्रवर्तन की रीति आदि योजना नहीं है । बीज निगम द्वारा कृषकों को अच्छी– अच्छी किस्मों का खरीफ / रबी के प्रजनक / आधार / प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कृषकों को प्रति एकड़ उत्पादन पर लाभ प्राप्त हो रहा है ।

13– म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम मुख्यालय भोपाल द्वारा कृषकों को बीज उपार्जन नीति अनुसार म0प्र0 की निर्धारित मंडी दरों पर निर्धारित माह की दर पर प्रोत्साहन राशि जोड़कर भुगतान किया जाता है, जैसे – धान पर 70 रू0, सोयाबीन पर 150 रू0, अरहर, मूंग पर 150 रू0 तथा गेहूं पर 70 रू0 चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों पर 150 रू0 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जोड़कर भुगतान किया जाता है, जिससे पंजीकृत कृषकों को बाजार से अधिक दर प्राप्त होती है ।

14– बीज निगम मुख्यालय भोपाल E mail beej product @ sanchar net in or www mpseeds dot बवउ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा बीज निगम मुख्यालय द्वारा सूचना

प्राप्त करने के संबंध में निर्धारित आवेदनपत्र का प्रारूप में शुल्क जमा कर आवेदक सूचना के अधिकार तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

15— म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को कृषि कार्यमाला के तहत उचित तकनीकी सलाह एवं कृषि साहित्य अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया जाता है ।

16— लोक सूचना के अधिकारियों के नाम पद संज्ञा/ पदनाम तथा अन्य विशिष्टयां —

1— लोक सूचना अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक/ प्रक्रिया प्रभारी

2— सहा0 लोक सूचना अधिकारी श्री सी0एम0 पटेल, कनि0 उत्पा0 सहायक

17— ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जायें —

1— प्रक्षेत्र की सामान्य जानकारी स्थापना वर्ष — म0प्र0 शासन, कृषि विभाग से प्रक्षेत्र बीज निगम को स्थानांतरण 1—1—1982 को किया गया है ।

2— प्रक्षेत्र की स्थिति — नागपुर — जबलपुर रा0रा0मा0 क्र0—7 निकटतम रेलवे स्टेशन सिवनी ।

3— स्थापना का उद्देश्य— सिवनी जिले के कृषकों को नई तकनीकी एवं शुद्ध बीज उपलब्ध कराना

4— डाक का पता— म0प्र0 राज्य बीज फार्म विकास निगम प्रक्षेत्र सिवनी जि0 सिवनी दूरभाष क्रमांक — 220612

5— मौसम एवं फसल का विवरण — रबी/ खरीफ/ ग्रीष्म— गेहूं, चना, मटर, सोयाबीन, धान, अरहर, मूंग आदि फसलें ।

6— सिंचाई की सुविधा— 2 ट्यूब वेल, 3 कुंये ।

7— प्रक्षेत्र पर मुख्य मशीनें— ट्रेक्टर, थ्रेशर, बिनोवर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, डगफुट एवं 2 स्प्रिंकलर सेट ।

8— कुल क्षेत्रफल — 45.050 हेक्टेयर ।

9— कृषि योग्य क्षेत्र— 34.000 हेक्टेयर ।

10— भवन सड़क, मेड़, सिंचाई नाली, नाला खलिहान चारागाह, आम बगीचा— 11.05 हेक्टेयर ।

प्रक्रिया केंद्र की स्थापना 1983 में हुई । बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेत्र/ कृषकों के बीजों का ग्रेडिंग, पैकिंग आदि कार्य किया जाता है । बीज प्रमाणीकरण के मार्गदर्शन में खेत स्तर पर निरीक्षण संसाधन उपरांत सेंपलिंग एवं मानक स्तर पर पास होने पर पैकिंग कार्य किया जाता है ।

प्रक्रिया केंद्र पर उपलब्ध मशीनरी— ओसाव कंपनी ग्रेडर मशीन 2 स्क्रीन, बैक क्लोजर मशीन, आर्दता मापी यंत्र तथा कांटा बांट आदि उपलब्ध हैं । बीजों के भंडारण हेतु 10000 क्विंटल क्षमता का गोदाम प्रक्षेत्र पर उपलब्ध है ।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का आवेदनपत्र का प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की धारा (6) (1) आवेदक के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन

1– आवेदक का नाम

2– पूरा पता/ ई मेल/ फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है

3– दूरभाष क्रमांक

4– आवेदन देने का दिनांक

5– कार्यालय का नाम

6– चाही गई जानकारी का विवरण

7– क्या चाहते हैं नकल/ निरीक्षण/ रिकार्ड का निरीक्षण/ रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना

8– आवेदक के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी रू0 5.00 नगद / स्टाम्प

(बी0पी0एल0 सूची के सदस्य को देय नहीं)

रसीद क0 एवं दिनांक

9– क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं – हां / नहीं

यदि हां तो बी0पी0एल0 सूची का अनुक्रमांक........................ छायाप्रति........................

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता

टीप– यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदनपत्र पर रू0 5.00 का स्टाम्प चस्पा करते हुये रजिस्टर्ड / यू0पी0सी0 / डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें । (बी0पी0एल0 सूची के सदस्य को देय नहीं)

पावती

1– आवेदन प्राप्त होने का दिनांक

2– आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक................................

3– संबंधित शाखा/ अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी)

पदनाम (रबर सील)

दिनांक

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन बाबत निर्देश ।

1— लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान अंतर्गत आवेदक द्वारा सूचना देने के लिये लिखित या मौखिक निवेदन किये जाने पर वांछित जानकारी मौखिक/ लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक फार्म में निर्धारित फीस का भुगतान प्राप्त कर अनिवार्य रूप से 30 दिन के भीतर देना होगी । यदि धारा 7 (1) में निर्धारित समयावधि में व्यतीत होने के उपरांत जानकारी प्रदाय नहीं की जाती है तो धारा 7 (6) के प्रावधान अनुसार आवेदक से फीस प्राप्त किये बिना जानकारी देना होगी ।

2— धारा 7 (5) के प्रावधान अनुसार गरीबी रेखा से नीचे वाले आवेदकों को दी जाने वाली जानकारी के लिये फीस नहीं ली जावेगी । धारा 7 (4) के प्रावधान अनुसार मानसिक इंद्रिय अपंग आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये नामांकित अधिकारी स्वयं सहायता करेंगे ।

3— धारा 7 (3) के प्रावधान अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय लिये जाने पर फीस की राशि की गणना कर सूचित किये जाने और आवेदक से सहमति / असहमति प्राप्त होने के बीच की अवधि निराकरण हेतु निर्धारित 30 दिन की समय सीमा में नहीं गिनी जावेगी ।

अ— ए—4 साइज पेपर की प्रति (एक ओर) रू0 5.00 प्रति पृष्ठ ।

ब— ए—3 साइज पेपर की प्रति (एक ओर) रू0 10.00 प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जायेगा। इलेक्ट्रानिक फार्म में दी जाने वाली वांछित जानकारी के लिये स्थानीय स्तर पर आने वाला व्यय आवेदक से शुल्क के रूप में प्राप्त किया जावेगा ।

4— धारा 7 (2) के प्रावधान अनुसार निर्धारित समयावधि में आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह माना जावेगा कि नामांकित अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को अपील की जा सकेगी ।

5— धारा 7 (1) के प्रावधान अनुसार ऐसी जानकारी जो व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित हो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जावेगी ।

6— धारा 7 (1) के प्रावधान अंतर्गत आवेदक को वांछित जानकारी निर्धारित 30 दिन की अवधि में अनिवार्य रूप से दी जाना है । यदि जानकारी अन्य कार्यालय से संबंधित है तब आवेदक को उस संबंध में अवगत कराया जाना है ।

यदि धारा 8 व 9 के प्रावधान अंतर्गत नहीं दी जाने की श्रेणी में आती है तब भी आवेदक का आवेदन कारणों का लेख करते हुये सकारण निरस्त करने की सूचना निर्धारित अवधि में दी जाना है ।

7— धारा (7) एवं 11 के प्रावधानांतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) की जानकारी संबंधित पक्षकार से 5 दिन के भीतर लिखित में तथ्यों से अवगत कराते हुये नोटिस देगा और उसके लिये दिये गये सुझाव को विचार में लेकर धारा 8 व 9 के प्रावधान अनुसार उचित निर्णय लेगा । आवेदक को वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु कारण बताने की बाध्यता नहीं है ।

8— उक्त अधिनियम की धारा 8 व 9 के अंतर्गत जो जानकारी नहीं दी जाना है उसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं । ऐसी जानकारी जिसे उक्त प्रावधानों के अनुसार मुक्त रखा गया है उसके लिये प्रस्तुत आवेदन धारा 9 के प्रावधान अनुसार सकारण तथ्यों का उल्लेख करते हुये निरस्त किया जावेगा ।

9— राज्य की सुरक्षा, नीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक व्यवस्था, खोज एवं आपराधिक अन्वेषण, लोक आदेश संसदीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी दस्तावेज, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी गोपनीय जानकारी, व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी, ऐसे दस्तावेज जिनसे न्यायालय की अवमानना होती हो, जीवन और शारीरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाली जानकारी तथा ऐसी कोई जानकारी जो लोक हित में दी जाना उचित न हो ऐसी जानकारी नहीं दी जायेगी । आवेदक को संसद एवं राज्य विधानसभा को दी जा सकने वाली जानकारी दी जायेगी किन्तु ऐसी जानकारी नहीं दी जायेगी जो कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम 1923 एवं धारा 8 (1) द्वारा निषिद्धक की गई है । यदि वांछित जानकारी ऐसी है जिसको दिये जाने से कोई हानि नहीं होगी, वह दी जा सकेगी फिर भी ऐसी सब जानकारियां दी जा सकेंगी जिनको घटित हुये 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है